**File No: SW-39/1/2016-SWADHAR**
**Government of India**
**Ministry of Women & Child Development**
*****

Ground Floor, Jeevan Tara Building,
New Delhi
Dated: 17.09.2020

To

Chief Controller of Accounts
Principal Accounts Office,
Ministry of Women & Child Development
New Delhi.

**Subject: Release of Grants-in-aid to the Union Territory Administration of Andaman and Nicobar Islands for implementation of Swadhar Greh Scheme during the FY 2020-21.**

Madam/Sir,

In continuation of this Ministry's sanction order of number SW-30/36/2015-Swadhar dated 09.05.2019, I am directed to convey the sanction of President to the payment of **Rs.3,96,493**/- (Rs. Three lakh ninety six thousand four hundred & ninety three only) to Union Territory Administration of Andaman and Nicobar Islands first installment of grants-in-aid ( 50% of GoI's share) for the year 2020-21 for implementation of the Swadhar Greh Scheme.

2. The Swadhar Scheme is a sub-scheme of the Centrally Sponsored Umbrella Scheme "Protection & Empowerment of Women" with prescribed cost sharing between Centre and States/UTs. In the above release, the Central Government contribution has been calculated on 100 percent and sanction of funds is subject to the following conditions;
The amount of the grant will have to be utilized for all components under the scheme as per the schematic norms.

i. States/UTs may, in particular, ensure that the rent is paid in accordance with the existing Rent Agreement till its validity or Rent Assessment certificate, whichever is lower subject to the ceiling mentioned at S.No. 8, Para H (iv) of the guidelines.

ii. The State/UTs may ensure that Implementing agencies/Voluntary Organizations are registered with NGO PS Portal before the grant is released to them.

3. The grant is further subject to condition that the State Government will maintain separate records of expenditure incurred for implementation of Swadhar Greh and furnish separate Statement of Expenditure and Utilization Certificate duly signed by Secretary along with Physical Progress Report every half year.

4. The information on expenditure on Swadhar Greh from 1st April to 30th September must be furnished by 15th October, for the period from 1st October to 31st March by 15th April to enable the Ministry to work out the entitlement of Central assistance of each State Government/UT Administration.

5. The payment is provisional and is subject to final adjustment in the light of the audited figures of actual expenditure for the year as a whole. The grant-in-aid is subject to the condition that when the Scheme is closed or abandoned, the proceeds from the disposal of assets built out of the whole or a portion of the grant sanctioned will revert to the Central Government.

(MANISH KUMAR SINGH)
Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6. It is requested that a letter of Authority may be issued to Accounts officer, Pay & Account Office, Administration of Andaman & Nicobar Islands, Port Blair-744001 for drawing the amount from P&AO, Ministry of Women and Child Development, New Delhi in accordance with prescribed procedure.

7. The expenditure is debatable to Demand No.100, Department of Women and Child Development, Major Head "2235" Social Security and Welfare, 02-Social Welfare, 103-Women Welfare, 73- Mission for Protection and Empowerment of Women, 02- Swadhar Greh, 31-Grant-in-aid, 2020-21 (Plan).

The Computer, PAO and DDO Code Number etc. are as follows:

| | | |
|---|---|---|
| (a) | PAO Code No. | 071383 |
| (b) | DDO Code No. | 201113 |
| (c) | Computer Code No. | 22352885 |
| (d) | Alfa Code No. | 223502103730231 |

8. The accounts of all Grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG(DPC) Act 1971 and internal audit by the Principal Accounts Office of the Ministry or Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning Grants-in-aid

9. The pattern of grants has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme approved by the Competent Authority.

10. This sanction issues with the concurrence of IFD vide their Dy. .No. 22588/AS&FA Dated 16.09.2020.

11. Entries have been made in the Grant-in-aid Register at S.No.11.

Yours Sincerely,

**(Manish Kumar Singh)**
**Under Secretary to the Govt. of India**

Copy forwarded to:

1. The Secretary, Directorate of Social Welfare, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair. Calculation Sheet is enclosed as Annexure.
2. The Accountant General, Union Andaman and Nicobar Administration.
3. The Director of Audit, Central Revenues, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi
4. Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure, ( Plan Finance Division ), North Block, New Delhi
5. Cash Section, Ministry of Women & Child Development
6. PS to Minister, MWCD/PPS to Secretary/IFD/US (Budget)
7. Guard Files/Sanction Folder
8. Pay & Accounts Officer, Ministry of Women & Child Development, New Delhi

**(Manish Kumar Singh)**
**Under Secretary to the Govt. of India**

**फाइल. सं. एस.डब्लू-39/1/2016-स्वाधार**
**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
****

भू तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक 17.09.2020

सेवा में

मुख्य लेखा नियंत्रक
प्रधान लेखा कार्यालय,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
नई दिल्ली।

**विषय: स्वाधार गृह स्कीम के कार्यान्वयन हेतु अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को प्रतिपूर्ति के तौर पर वर्ष की प्रथम किस्त के अनुदान की निर्मुक्ति।**

महोदया/महोदय,

इस मंत्रालय के अनुमोदन क्रम को जारी रखने के क्रम में SW-30/36/2015-Swadhar दिनांक 09.05.2019, केंद्र के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को स्वाधार गृह योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान (भारत सरकार योगदान 50%) की प्रथम किस्त जारी करने हेतु।मुझे राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2020-21की प्रथम किस्त के तौर पर रु. 3,96,493/- (तीन लाख छियांनवे हजार चार सौ तेरानवे रुपये मात्र) की स्वीकृति सूचित करने का निर्देश हुआ है।

2. स्वाधार गृह स्कीम केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत साझाकरण वाली केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला स्कीम "महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण" की उप-स्कीम है। उपरोक्त निर्मुक्ति में, केंद्र सरकार के अंशदान की 100 प्रतिशत के अनुपात में गणना की गई है और निधियों की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है;

i. अनुदान की राशि स्कीम के मानदंडों के अनुसार स्कीम के तहत सभी घटकों के लिए उपयोग की जानी होगी।

ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी स्वाधार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अपने अंश का योगदान करना होगा।

iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, विशेषतया, सुनिश्चित करें कि किराए का भुगतान मौजूदा किराया अनुबंध की वैधता तक या किराया निर्धारण प्रमाणपत्र के अनुसार, जो भी कम हो, दिशानिर्देशों में वर्णित सीमाओं के अधीन किया जाता है।

iv. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करें कि कार्यान्वयन एजेंसियां/स्वैच्छिक संगठन उन्हें अनुदान निर्मुक्त किए जाने से पूर्व एनजीओ पीएस पोर्टल पर पंजीकृत हों।

3. अनुदान इस शर्त के भी अधीन है कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए गृह के कार्यान्वयन के लिए किए गए व्यय के अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखेगी और हर छमाही में भौतिक प्रगति रिपोर्ट सहित व्यय और उपयोग प्रमाणपत्र का अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पहले निर्मुक्त की गई राशि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है और भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित सूचित किए गए डेटा और तथ्य सही हैं। राज्य सरकार पिछले वर्ष से शेष राशि और चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्तियों से खर्च करने की क्षमता भी स्पष्ट करेगी।

(MANISH KUMAR SINGH)
अवर सचिव/Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. स्वाधार पर व्यय की जानकारी 1 अप्रैल से 30 सितंबर की अवधि हेतु 15 अक्तूबर, 1 अक्तूबर से 31 मार्च की अवधि हेतु 15 अप्रैल तक प्रस्तुत की जानी चाहिए जिससे मंत्रालय प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की केंद्रीय सहायता की हकदारी तय करने में सक्षम हो सके।

5. यह भुगतान अनंतिम है और वर्ष के वास्तविक व्यय के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आलोक में अंतिम समायोजन के अधीन है। अनुदान इस शर्त के अधीन है कि यदि योजना को बंद किया जाता या छोड़ दिया जाता है तो, संपूर्ण स्वीकृत अनुदान या उसके अंश से निर्मित परिसंपत्तियों के निपटान से प्राप्त राशि केंद्र सरकार को वापस की जाएगी।

6. यह व्यय मांग सं. 100, महिला और बाल विकास विभाग, प्रमुख शीर्ष "2235" राज्य सरकारों को अनुदान सहायता, 02.103-केंद्र प्रायोजित योजनाएं-केंद्रीय सहायता/अंश, 73-महिला सशक्तीकरण और संरक्षण मिशन, 02- स्वाधार, 31-अनुदान सामान्य, 2020-21।

कंप्यूटर, पीएओ और एससीसीडी कोड संख्या आदि इस प्रकार हैं:

| | |
|---|---|
| (ए) पीएओ कोड नंबर | 071383 |
| (b) SCCD कोड संख्या | 201113 |
| (c) कंप्यूटर कोड नंबर | 22352885 |
| (d) अल्फा कोड संख्या | 223502103730231 |

7. अनुदान की राशि अंतत: प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी विंग, भू तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की बहियों में समायोजनीय है। राज्य के भुगतान की व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के माध्यम से की जाएगी। राज्य के महालेखाकार अनुदान प्राप्त करने के बारे में प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी विंग, भू तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचित करेंगे।

8. सभी ग्रांटी संस्थानों या संगठनों के खाते सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 और मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रावधान के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित प्राधिकारी और लेखा परीक्षा द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होंगे। या विभाग, जब भी संस्था या संगठन को ऐसा करने के लिए बुलाया जाता है और इस आशय का एक प्रावधान अनुदान-इन-सहायता को मंजूरी देने वाले सभी आदेशों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए

9. अनुदान का पैटर्न वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप जारी की जा रही है।

10. आईएफडी की सहमति, डायरी सं. 22588/एएस और एफए दिनांक 16.09.2020 के माध्यम से यह स्वीकृति जारी की जाती है।

11. अनुदान रजिस्टर में क्रमांक 11 पर प्रविष्टियां की गई हैं।

भवदीय,

(मनीष कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

(मनीष कुमार सिंह)
(MANISH KUMAR SINGH)
अवर सचिव/Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, अंडमान एवं निकोबार सरकार.
2. महालेखाकार, अंडमान एवं निकोबार सरकार
3. लेखापरीक्षा निदेशक, केंद्रीय राजस्व, एजीसीआर बिल्डिंग, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली
4. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग(योजना वित्त प्रभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

5. रोकड़ अनुभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
6. मंत्री, म.बा.वि.मं. के निजी सचिव/सचिव के प्रधान निजी सचिव/आईएफडी/अवर सचिव(बजट)
7. गार्ड फाइल/स्वीकृति फोल्डर
8. वेतन एवं लेखा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
9. प्रधान लेखा कार्यालय का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग

मनीष कुमार सिंह

(मनीष कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

(मनीष कुमार सिंह)
(MANISH KUMAR SINGH)
अवर सचिव/Under Secretary
महिला एंव बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi